प्रेस नोट

मु0अ0सं0 201/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद

दिनांक 05/09/2020 को थाना मेरापुर पर आवेदक श्री नाहर सिंप पुत्र श्री काली चरन निवासी नगला सूदन थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 201/20 धारा 457/380 भादवि जिसमे वादी के घर से गाँव के ही भीमसैन पुत्र हुलासी द्वारा दिनांक 03/09/20 की रात को वादी के घर मे घुस कर बक्से मे रखे पुत्र वधू के जेवर सोने की अंगूठी ,मगंलसूत्र,झाले ,चाँदी की पायल, करधनी चुरा ली थी । श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय कायमगंज के कुशल नेतृत्व मे एंव थानाध्यक्ष श्री धर्वेन्द्र कुमार के सफल प्रयासो से अभि0 भीमसेन पुत्र हुलासी नगला सूदन थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद को आज दिनांक 06/09/20 को मुखबिर की सूचना पर थाना मेरापुर पुलिस द्वारा नगला सूदन के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ जेवर एक अदद कमर की करधनी , दो अदद झुमकी सोने की , तीन अदद पायल चाँदी की , एक अदद माथे का टीका सोने का , एक अदद अंगूठी सोने की , एक अदद पेन्डिल सोने का एंव एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध मे अभि0 भीमसैन पुत्र हुलासी निवासी नगला सूदन थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 202/20 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-थानाध्यक्ष श्री धर्वेन्द्र कुमार

2-उ0नि0 श्री श्याम बाबू

3- का0 21 सुभाष चन्द्र

4- का0 377 जितेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश पुलिस
सत्यमेव जयते
IPS
OPPO F11 Pro · ©@मीडिया सैल फतेहगढ़